

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार सोनी बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, ओसिया) सू.अ.अपील संख्या 46/2023</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08-04-24</p>	<p>अपीलार्थी महेन्द्र कुमार सोनी निवासी ई-152, प्रेसकॉन सिटी, पाली हाईवे, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10/10/23 में खसरा नं. 250, 253 पटवारी हल्का मालूंगा ग्राम बाडी तहसील तिवरी में सरकारी भूमि का अतिक्रमण के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, ओसिया) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, ओसिया) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, ओसिया) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, ओसिया) को प्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	